रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062020-219965
CG-DL-W-17062020-219965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 17 —ज्येष्ठ 23, 1942
No. 16] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 17— JYAISTHA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (बहु-कार्य कर्मचारी वृंद) भर्ती अधिनियम, 2016 तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1999 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, (बहु-कार्य-कर्मचारी वृंद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद- संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारी वृंद	458* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 - 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान

					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य पास हो	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणः- प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी : (क) जो सदृश पद धारण किए हुए हों, और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन-I), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12022/01/2017-प्रशा.-II]

संजय मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd June, 2020

G.S.R. 83.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016 and the Prime Minister's Office (Group D Posts) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	458 * (2020) *(Subject to variation depending on the workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and

					Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshdweep. **Note 2 :** In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government: a) holding analogous posts; and b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** Under Secretary (Administration-I, Ministry of Home Affairs) – Chairman; Under Secretary (Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs) – Member; Under Secretary, Department of Personnel and Training – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12022/01/2017-Ad.-II]

SANJAY MEHTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सा.का.नि. 84 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक श्रेणी-I, श्रेणी-II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2017 और प्रधानमंत्री कार्यालय समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1999 को अधिक्रांत करते हुए, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक श्रेणी-I, स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्टाफ कार चालक श्रेणी- I, स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक श्रेणी- I	13* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी–II में उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा किया हो या संयुक्त रूप से पन्द्रह वर्षों तक स्टाफ कार चालक श्रेणी–II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में सेवा किया हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक श्रेणी-II	11* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	12* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्षों के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और

					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) * 'सीधी भर्ती' सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा (यदि इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चिय किया जाए) द्वारा की जाती है तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति। (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में छोटी-मोटी कमियों का ठीक करने के योग्य हो) (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीयः होम गार्ड या नागरिक स्वंयसेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिएः प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलनः- गृह मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास चालान प्रशिक्षण से क्षमता निर्धारण करने से मोटर कार चलाने के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुमति है जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता ।

सरकार के अन्य मंत्रालयों में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जो वेतन मैट्रिक्स में, स्तर-I (18000-56900 रु.) में सवार हरकारा के पद पर नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए पद धारियों में से जो स्तम्भ-7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। "भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन" सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, पर विचार किया जाएगा। यदि चयन कर किया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निमुक्त किया जाना है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-42012/38/2015-प्रशा.-II]

संजय मेहता, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 2020

G.S.R. 84 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Grade I, Grade II and Ordinary Grade), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017, and Prime Minister's Office Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs Staff Car Drivers Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, their classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the Schedule.

5. **Disqualification.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver Grade I	13* (2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29200-92300/-)	Non- Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade - II in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 – 81100/-) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman; 2.Under Secretary (Secretariat Security	Not applicable.

Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Organisation), Ministry of Home Affairs – Member; 3.Under Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver Grade II	11* (2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100/-)	Non- Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level- 2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman; 2.Under Secretary (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs – Member; 3. Under Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	12* (2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	Not applicable	Between 18 and 25 years*(Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep. *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination (if so decided by the Competent Authority), the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard from a recognised Board, **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation / absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation / Absorption:- From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group C employees in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in the Ministry of Home Affairs who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The Department Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman; 2.Under Secretary (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs – Member; 3.Under Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi – Member.	Not applicable.

[F. No. A-42012/38/2015-Ad.-II]

SANJAY MEHTA, Under Secy.